

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

- राज्य सरकार विकलांग वाहन भत्ता नियम-1976 के अन्तर्गत वित्त विभाग के आदेश एफ. 10(4) ग्रुप-2/एफडी/76/ दिनांक 13.03.84 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.08.89, 02.05.98, 12.09.08 एवं एफ 6(6)एफडी/रूल्स/2010 दिनांक: 25.04.2012 के अंतर्गत श्री सुनील कुमार जांगिड़ पुत्र नन्दकिशोर जांगिड़ व्याख्याता-इतिहास, राजकीय सि. उच्च माध्यमिक विद्यालय, फतेहटीबा-जयपुर को इनके आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त होने की तिथि 23.01.18 से उनके मूल वेतन का छ: प्रतिशत जो अधिकतम रूपये 600/- (अखरे रूपये छ: सौ मात्र) तक प्रतिमाह की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
- इन्हे आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदौन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग भत्ता देय नहीं होगा।

(नन्दकिशोर जांगिड़)

आईएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक- 14.03.2018

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/इति-वाणि/विकलांग भत्ता/07-18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-सम्बन्धित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग,
- 2-सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) ।।
- 3-सम्बन्धित प्रधानाचार्य, राउमारि फतेहटीबा-जयपुर को सम्बन्धित कार्मिक का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है ।
- 4-सम्बन्धित कार्मिक
- 5-निजी एवं रक्षित पत्रावली ।

सुनील कुमार (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर